

### आदेश

बियाडा के निदेशक पर्सद की 42वीं बैठक दिनांक 15.04.2013 में लिए गए निर्णय के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 3170 दिनांक 17.05.13 एवं ज्ञापांक 3172 दिनांक 17.05.13 द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में Common Logistical facility के लिए आवंटन हेतु 10% भूमि कर्णांकित की गई है, परन्तु Common Logistical facility के तहत कौन-कौन से उद्योग/ सेवा आच्छादित होंगे इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं हो सका।

उक्त के आलोक में निदेशक पर्सद की 48वीं बैठक में Common Logistical facility के तहत निर्णांकित उद्योग/सेवा प्रक्षेत्र के इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. Bank
2. Post Office
3. Government Offices
4. Cold Storage
5. Police Station
6. Industrial Product Research Centre
7. Fire Station
8. Govt. Ware Houses (Central Ware House & State Ware House)

उपरोक्त कंडिका 8 में वर्णित सरकारी वेयर हाउस की स्थापना मात्र उस औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित इकाईयों को सेवा प्रदान करेगी।

(ख) कार्यालय आदेश ज्ञापांक 3170 दिनांक 17.05.13 एवं ज्ञापांक 3172 दिनांक 17.05.13 में उल्लेखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रबंध निदेशक का आदेश

दिनांक 27.08.2015

ह0/-

कार्यकारी निदेशक।


दिनांक 27/08/15

ज्ञापांक 4023/D / 114/DO/BIADA/2010

प्रतिलिपि: सचिव, बियाडा पटना/कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/भागलपुर/ दरभंगा/ मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विधि पदाधिकारी, बियाडा/ आई०टी० पदाधिकारी, बियाडा/वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा/ प्रबंध निदेशक, बियाडा के विशेष सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सरकार के उप सचिव, उद्योग विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
कार्यकारी निदेशक।